न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः 167/2011 (जीसीएमएस नं. 2011/00039)

1. नन्छी देवी धर्मपत्नी श्री भगवान सहाय पुत्री स्व. श्री रूघनाथ, जाति जांगिड़ ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम मानपुरा, माचेडी, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. प्रभाती देवी धर्मपत्नी श्री मदनलाल, पुत्री स्व. श्री रूघनाथ, जाति जांगिड़ ब्राहाम्ण निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी खातीयों की ढाणी, तहसील आमेर जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

7. रामेश्वर पुत्र रूघनाथ जाति जांगिड़ ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी खातीयों की ढाणी, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. प्रहलाद पुत्र रूघनाथ जाति जांगिड़ ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी खातीयों की ढाणी, तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. सीताराम पुत्र रूघनाथ जाति जांगिड़ ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी खातीयों की ढाणी, तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. शम्भूदयाल पुत्र रूघनाथ जाति जांगिड़ ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी खातीयों की ढाणी, तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. लालचन्द पुत्र रूघनाथ जाति जांगिड़ ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी खातीयों की ढाणी, तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. मीरादेवी उर्फ कमली धर्मपत्नी मूलचन्द सुपुत्री श्री रूघनाथ निवासी गुढा सूरजन तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. छोटीदेवी धर्मपत्नी रूघनाथ जाति जांगिड़ ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी खातीयों की ढाणी, तहसील आमेर जिला जयपुर।(मृतक दौराने अपील नाम हजफ)

—— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. **श्री कैलाश नारायण शर्मा, अपीलान्ट की ओर से**
2. **श्री घीसालाल कुमावत रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 16.11.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.05.2011 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 के पिता व प्रत्यर्थी संख्या 7 के पति श्री रूघनाथ तथा व उनके भाई श्री कन्हैयालाल, जीवण पुत्रान मोहनलाल के शामलाती खातो की भूमि ग्राम रामपुरा तहसील आमेर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

जिला जयपुर में स्थिति उक्त भूमि में श्री रूघनाथ, जीवण व कन्हैयालाल को के पिता श्री मोहनलाल से विरासत में मिली है जिसमें तीनों भाई उक्त भूमि में बराबर–बराबर के हिस्से पर काबिज खातेदार काश्तकार थे तथा खातेदार श्री रूरूघनाथ की मृत्यु होने पर प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचरियों से मिलीभगत कर वास्तविक तथ्यों व वारिसों को छुपाकर प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 5 को ही एक मात्र मृतक श्री रूघनाथ का वारिस बताकर विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम खुलवा कर खातेदार श्री रूघनाथ के नाम की भूमि अपने नाम दर्ज इन्द्राज करवा ली जबकि श्री रूघनाथ के प्रथम श्रेणी वारिसान में मृतक की विधवा पत्नी छोटीदेवी, उसके पुत्र रामेश्वर, प्रहलाद, सीताराम, शॅभूदयाल, लालचन्द व पुत्रीयॉ नन्छीदेवी, प्रभाती देवी, मीरादेवी उर्फ कमली है लेकिन मृतक श्री रूघनाथ की जाईन्दा पुत्रीयों को न तो कोई सूचना नामान्तरकरण प्रक्रिया बाबत दी गई, न ही इस बाबत कोई जॉच राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई बल्कि नामान्तरकरण की यह फिसकल प्रोसिडिंग मिलीभगत करवाकर राजस्व रिकार्ड में प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 ने अकेले अपने नाम अवैध रूप से दर्ज इन्द्राज करवा लिया। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण की आपत्तियों का निस्तारण विधि विरूद्ध तरीके से करते हुए यह मानने में भारी कानूनी भूल की है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई जिसक लिये कोई सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नही दिया गया जबकि यह तथ्य निर्विवादित है कि वादग्रस्त भूमि अपीलार्थीगण के पूर्वजों की भूमि है। विवादित नामान्तरकरण के खोले जाने से पूर्व मृतक श्री रूघनाथ के विधिक वारिसान की ना तो कोई जॉच की गई और अपीलार्थीगण जो कि मृतक श्री रूघनाथ की प्रथत श्रेणी की विधिक वारिसान है को सुनवाई का कोई अवसर भी प्रदान नही किया गया। इस प्रकार मृतक श्री रूघनाथ की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान जिसको सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित निर्णय प्रारम्भतः विधि विरूद्ध व शून्य प्रभावी है जिसके बाबत अपीलार्थीगण को कोई जानकारी पूर्व में नही रही बल्कि प्रत्यर्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपीलार्थीगण के हिस्से की खातेदारी हड़पने का प्रयास करने पर उक्त बाबत जानकारी हुई जिस पर अपीलार्थीगण ने ना केवल अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की बल्कि प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध अपराधिक कार्य किये जाने बाबत पुलिस थाना चौंमू में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नामान्तरकरण खोले जाने से पूर्व अपीलार्थीगण जो कि मृतक श्री रूघनाथ की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकार करने में न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों का उल्लंघन हुआ जिससे उक्त नामान्तरकरण बाबत पारित निर्णय भी प्रारम्भतः विधि विरूद्ध व शून्य प्रभावी है और ऐसे विधि विरूद्ध व शून्य प्रभावी आदेश को कभी भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है जिसमें मियाद का बिन्दु कोई कानूनी महत्व नही रखता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के इस बिन्दु पर की गई बहस को नजरअन्दाज करते हुए इस

बाबत कोई विवेचन अपने निर्णय में नही करके भारी कानूनी भूल की है जिससे अपीलाधीन निर्णय सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायलाय का अपीलाधीन निर्णय वं आदेश दिनांक 03.05.2011 को खारिज फरमाया जावें। उन्होने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त धारा 135 भू राजस्व अधिनियम, धारा 8 हिन्दू सेक्शसन एक्ट 1956, आरआरडी 1982 (406) श्रीमती हस्ती बनाम बीरबल, एआईआर 2020 सुप्रीम कोर्ट 3717 विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा व अन्य, धारा 5 रिविजन/एल/आर/2524/07/बुन्दी भॅवरलाल बनाम मोतीलाल, आरबीजे (16) 2009 श्रीकिशन व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व अन्य, आरबीजे (16) राजस्थान स्टेट बनाम दाखाबाई पेश किये गये।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीयान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सहायक भू प्रबन्ध एवं भू अभिलेख अधिकारी आमेर द्वारा दिनांक 27.07.1996 को तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 97 ग्राम रामपुरा डाबडी तहसील आमेर के विरूद्ध अप्रत्याशित विलम्ब से लगभग 14 वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई जो अवधि बाहर थी एवं अपील प्रस्तुत करने का अधिकार अपीलान्ट्स को नही था। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीगण ने नामान्तरकरण में वर्णित प्रश्नगत आराजीयात के सम्बन्ध मे रेस्पोडेन्ट व अन्य के विरूद्ध घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का रेगूलर वाद संख्या 47/2010 मय प्रार्थना पत्र अस्थाइ निषेधाज्ञा संख्या 40/2010 उनवानी नन्छी देवी वगैरह बनाम रामेश्वर वगैरह न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर मे प्रस्तुत कर रखा है जिसमें न्यायालय ने प्रश्नगत आराजीयात को विक्रय न करने एवं राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखने की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी कर रखी है, रेगूलर वाद प्रश्नगत आराजी के विषय मे अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये जाने व विचाराधीन होने से प्रस्तुत नामान्तरकरण की अपील जो कि एक समरी प्रोसिडिंग की तारीफ में आती है, कानूनन प्रचलन योग्य नही थी।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि नामान्तरकरण तस्दीक होने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट राजस्व भू अभिलेखें में खातेदार टीनेन्ट दर्ज हो चुके है इसके पश्चात् भू प्रबन्ध एवं भू अभिलेख कार्य बन्द हो चुका है, रिकार्ड ऑफ राईट्स में रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज हो चुका है, रेस्पोडेन्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत खातेदार टीनेन्ट दर्ज हो चुके है, लगान अदा करते चले आ रहे है, अब राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट की खातेदारी समाप्त करने की कार्यवाही कानूनन नही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थीगण की अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खारिज योग्य ही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् एवं प्रकरण का विधिक परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.05.2011 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से

संभागीय आयुक्त
जयपुर

खारिज फरमाइ जावें। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2003(1) आरआरटी 647, 2017 आरबीजे–334, 1993 आरआरडी 232, 44, 1985 आरआरडी 534, 1990 आरआरडी 689, 2007 आरबीजे 438 2010 (2) आरआरटी 801, 1998 एआईआर एससी 2276, 2014(1) आरआरटी 154 1984 आरआरडी 572, 2009 (16)आरबीजे 591 व 1998 आरआरडी 254 प्रस्तुत की गई।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 97 वाके ग्राम रामपुरा पर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी एवं भू अभिलेख अधिकारी आमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.1996 के विरूद्ध असाधारण विलम्ब से लगभग 14 वर्ष पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई तथा उक्त विलम्ब के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा अथवा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई ठोस सन्तोषजनक कारण नही बताये गये है जिससे कि उक्त विलम्ब को कण्डोन किया जा सके। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा अपने हक हकूक अधिकारों की घोषणा हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें पक्षकाराने के हक, हकूक, अधिकारों का विश्चियन होना अभी शेष है ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण की फिसकल कार्यवाही में किसी भी पक्षकारान के हक, हकूक, अधिकार तय नही किये जा सकते। ऐसे में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.05.2011 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.05.2011 को यथावत रखा जाता है।

16/11/2021

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।